

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख

अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या : 241/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/381)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. जरनैल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति मजहबी निवासी 11 ओ बी तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजु:- 11.12.2024

उपस्थित: 1. श्री मनजीत सिंह कचूरा अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 14.05.2025

- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 2 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भूअ.नि.क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 54/39 में वादी के नाम 23/620 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में वादी का नाम पप्पी सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह दर्ज है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों में नाम जरनैल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह अंकित है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इसलिए उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भूअ.नि.क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 54/39 में वादी के नाम 23/620 में वादी के अंकित नाम पप्पी सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह स्थान पर जरनैल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
- वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 931 दिनांक 21.04.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर उपस्थित जनों से पुछताछ करने पर बताया गया कि प्रार्थी को पप्पी सिंह व जरनैल सिंह दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है। प्रार्थी का नाम जरनैल सिंह उर्फ पप्पी सिंह किया जाना उचित है। साक्ष्यवादी में गवाह जरनैल सिंह व जरनैल सिंह के द्वारा न्यायालय में स्वयं उपस्थित आकर शपथ पत्र पेश किया। सामिल मिसल किया गया।
- बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 2 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भूअ.नि.क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 54/39 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 2 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भूअ.नि.क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 54/39 में वादी के नाम 23/620 में वादी के अंकित नाम पप्पी सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह स्थान पर जरनैल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया



सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति में नाम जरनैल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर उपस्थित जनों से पुछताछ करने पर बताया गया कि प्रार्थी को पप्पी सिंह व जरनैल सिंह दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है। प्रार्थी का नाम जरनैल सिंह उर्फ पप्पी सिंह किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते हैं।

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136—राजस्व भू अधिनियम 1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू. अ.नि.क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 54/39 में क्रम संख्या 13 पर अंकित नाम पप्पी सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के स्थान पर पप्पी सिंह उर्फ जरनैल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर री. इजलास सुनाया गया।



{शयोराम (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

{शयोराम (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जरनैल सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 241/2024

निर्णय दिनांक :- 14.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वरूप उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री मनजीत सिंह कचूरा उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि.क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 54/39 में क्रम संख्या 13 पर अंकित नाम पप्पी सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के स्थान पर पप्पी सिंह उर्फ जरनैल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 14.05.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)  
दिनांक:- 14.05.2025

क्रमांक: रीडर/2025/292

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{श्योराम (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)